तत्काल

क्रमांक 2/3/2018–3 स्था0 II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल तथा गुडगॉव मण्डल,
सभी उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी (सिविल)

दिनांक चण्डीगढ 15.01.2019

विषयः– हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर आशुलिपिकों के पद भरने हेतु।

....

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्शित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा राज्य के अन्य कार्यालयों से अनुभवी तथा कुशल आशुलिपिकों में से हरियाणा सिविल सचिवालय में आशुलिपिकों के 36 रिक्त पदों को स्थानान्तरण आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। ऐसे आशुलिपिक, जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हों और जो निम्नलिखित निर्धारित योग्यताऍ रखते हों, वे हरियाणा सिविल सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के पात्र होगें :–

1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष; तथा
2) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;

2. उक्त योग्यताओं के अतिरिक्त कर्मचारियों को शार्टहैंड का एक टैस्ट देना होगा। यह टैस्ट अंग्रेजी में 80 शब्द तथा हिन्दी में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से लिया जायेगा। टैस्ट के दो पैसेज अंग्रेजी तथा हिन्दी में होगें जो कि करीब पॉच मिनट के होगें व दोनों पैसेज 400 शब्दों के (दोनों भाषाओं में 200–200 शब्दों के) होगें, जिन्हें क्रमशः 32 मिनट में यानि 15 शब्द प्रति मिनट तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप करना होगा। जो उम्मीदवार प्रत्येक भाषा में 8 प्रतिशत से अधिक गलतियॉ नहीं करेगा, उसे इस टैस्ट में उतीर्ण समझा जायेगा परन्तु यदि कोई कर्मचारी एक भाषा में टैस्ट पास कर लेगा तो उसे हरियाणा सिविल सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाएगी कि उसे अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब वह दूसरी भाषा में शार्टहैंड/ टाईप टैस्ट की निर्धारित परीक्षा पास कर लेगा ।

3. आपसे अनुरोध है कि आप हरियाणा सिविल सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये अपने अधीन कार्य कर रहे इच्छुक कर्मचारियों के नाम अपनी सिफारिश सहित निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, कमरा न0–38, पॉचवीं मन्जिल, हरियाणा सिविल सचिवालय (स्थापना–II शाखा में) को निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए दिनांक 07.02.2019 तक अवश्य भेज देवें :–

नाम	सेवा अवधि	अस्थाई अथवा स्थाई	शैक्षणिक योग्यताऍ (प्रमाण पत्र सहित)	वर्ग (प्रमाण पत्र सहित)	नियमित नियुक्ति की तिथि	हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं का आशुलिपिक
1	2	3	4	5	6	7

कृपया इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र भेजते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जायें कि जिन कर्मचारियों कें आवेदन पत्र भेजें जायें, उनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा जांच व हरियाणा सिविल सेवाऐं (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1987 के नियम–7 व 8 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही तथा उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित न हों और उनका गोपनीय रिकार्ड 70 प्रतिशत अच्छा या इससे बेहतर स्तर का हो तथा उनकी ईमानदारी भी सन्देहजनक न हो। सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों की गोपनीय रिर्पोट फाईल उनकी सांक्ष्यांकित समरी भी आवेदन पत्र के साथ भेजें।

नोटः– जो कर्मचारी सचिवालय में आशुलिपिक के पद की निर्धारित योग्यताऍ व अन्य शर्ते पूर्ण न करते हों उनके नामों की सिफारिश न की जाये ।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
अधीक्षक स्थापना–II
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।